न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुभाष यादव (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 3/17/2025

वउनवान

1. कैलाश पुत्र जीवनराम जाति माली (सैनी) निवासी रामबास तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर (राज0)
2. लालाराम पुत्र जीवनराम जाति माली (सैनी) निवासी रामबास तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर (राज0)
3. हुकमचन्द पुत्र जीवनराम जाति माली (सैनी) निवासी रामबास तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर (राज0)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

—असल अप्रार्थी

2. रामबती पुत्री जीवनराम पत्नी हरीराम जाति माली (सैनी) निवासी रामबास तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर हालवासी चमड मौहल्ला डीग रोड़ तहसील नगर जिला डीग।
3. गुड्डी पुत्री जीवनराम जाति माली (सैनी) निवासी रामबास तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर हालवासी 98 इटामडा रोड़ कृष्णा कॉलोनी भुसावर जिला भरतपुर

—तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राज0 भू.राजस्व अधि0 1956

उपस्थितः—

श्री अमृतलाल सैनी — अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार — अप्रार्थी

आदेश दिनांक **15.07.2025**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1729/409 रकबा 1.1380 है0 वाके ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर में स्थित है जो आराजी प्रार्थीगण व तरतीबी अप्राथीगण के पिता जीवनराम के खातेदारी मे दर्ज है। जीवनराम गुजर गया है। जिसके प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण वारिसान है। जिसमें लड़किया अपने ससुराल में रहती

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

है। ओर आराजीयात में उनके हिस्से सहित प्राथीगण ही मौके पर काबिज है लेकिन फिर भी लडकियो को प्रार्थना पत्र में बतौर तरतीबी अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है।

यह है कि उक्त आराजी खसरा नं. 1729/409 रकबा 1.1380 है वाके ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर में से 500 वर्गमीटर भूमि तर्फ उत्तर को सड़क के लगती हुई व्यवसायिक प्रयोजनार्थ हेतु संपरिवर्तन करवाकर उसमें पिता के समय से ही दुकाने बनी हुई है। 500 वर्गमीटर को छोड़कर बाकि रकबा कृषि कार्य हेतु उपयाग में लिया जा रहा हैं

यह है कि उक्त आराजीयात में से 500 वर्गमीटर भूमि व्यवसायिक प्रयोजनार्थ हेतु संपरिवर्तन हो रही है। जिसका नक्शे व रिकॉर्ड में अभी तक अलग से तितम्बा नही काटने व रिकॉर्ड में अलग से नम्बर कायम नही होने के कारण विरास्त इंतकाल का अमल होने से अटका हुआ है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम पेश कर आराजी खसरा नं. 1729/409 रकबा 1.1380 है वाके ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर में से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ हेतु संपरिवर्तित भूमि 500 वर्गमीटर तर्फ उत्तर सड़क के लगती हुई का अलग से नक्शा में तितम्बा काटकर अलग से नम्बर कायम किये जाने के आदेश बाबत निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी (तहसीलदार गोविन्दगढ़) के द्वारा प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी (तहसीलदार गोविन्दगढ़) ने जवाब अनुसार हाल जमाबंदी ऑनलाईन वाके ग्राम रामबास के खाता संख्या 243 में जीवनराम पुत्र छोटेलाल हिस्सा पुर्ण जाति माली साकिन देह खातेदार अ.वि.व ख.नं. 1729/409 में से 500 वर्गमीटर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन खसरा नं. 1729/409 में अतिरिक्त विवरण में 500 वर्गमीटर भूमि व्यवसायिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन जमाबंदी में अंकन है। किन्तु उक्त आराजी खसरा नं. 1729/409 रकबा 1.1380 है0 की किस्म डहरी 1 अंकित है जिसे प्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़ जिला अलवर (राज०) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

संपरिवर्तित भूमि को अलग बटा नम्बर से दर्ज कराना चाहता है। ताकि शेष भूमि में नामान्तकरण दर्ज आदि प्रक्रिया की जा सके। मौके पर उक्त आराजी खसरा नम्बर 1729/409 गोविन्दगढ़ से रामगढ़ को जाने वाली मुख्य सड़क एसएच 45 पर स्थित है। मौके पर उक्त आराजी में लगभग 500 वर्गमीटर भूमि पर जो कि सड़क से लगती हुई है। पर दुकानों का निर्माण कर व्यवसायिक प्रयोजन में काम में लिया जा रहा है तथा दुकानों के पीछे की तरफ उक्त आराजी के कुछ रकबे में आवासीय मकान बनाए हुए है तथा आधे से ज्यादा रकबा खाली पड़त पड़ा हुआ है। अतः उपरोक्तानुसार प्रार्थी की संपरिवर्तित भूमि को अलग से बटा नम्बर डालकर संपरिवर्तित भूमि का नया खसरा बनाया जाना उचित है।

अप्रार्थीया सं. 2 व 3 के द्वारा भी जवाब पेश किया गया। जवाब अनुसार उक्त आराजीयात में से 500 वर्गमीटर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ हेतु संपरिवर्तित हो रही है। जिसका न्यायहित में 500 वर्गमीटर रूपान्तरित भूमि का नक्शा में अलग से तितम्बा काटा जाकर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ की भूमि का अलग से नम्बर कायम कर दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में हाल जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 खाता संख्या 243, खसरा नक्शा एवं संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 8 दिनांक 06.03.2002 की फोटोप्रति पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

<u>136 Correction of errors:-</u> the land records officers may at any time, correct of cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record to right or register, or which a revenue officer may notice during the course of his inspection in any during records of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been to the parties.

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का समग्र अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया। अप्रार्थी तहसीलदार गोविन्दगढ़ के जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थीगण की संपरिवर्तित भूमि को अलग से बटा नम्बर डालकर संपरिवर्तित भूमि का नया खसरा बनाया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 अंतर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:आदेशः—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 136 अंतर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गोविन्दगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वे इंडियन रोड़ कांग्रेस के मापदंड एवं राज्य सरकार के परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए वाके ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ़ के आराजी खसरा नं. 1729/409 रकबा 1.1380 है0 में से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ हेतु संपरिवर्तित भूमि 500 वर्गमीटर तर्फ उत्तर का अलग से नक्शा में तितम्बा काटकर अलग से नम्बर कायम कर/दर्ज कर हाल राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुभाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

अतः यह आदेश आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)